संख्या–4495/96–आयुष–1–2022–148/2022

प्रेषक,

आराधना शुक्ला,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
आयुर्वेद सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

आयुष अनुभाग–1

लखनऊ : दिनांक 19 दिसम्बर, 2022

विषय– प्रदेश के राजकीय आयुर्वेदिक/यूनानी/होम्योपैथी मेडिकल कालेजों एवं निजी क्षेत्र के आयुर्वेदिक/यूनानी/होम्योपैथी मेडिकल कालेजों एवं निजी क्षेत्र के आयुर्वेदिक आयुर्वेदि/यूनानी/होम्योपैथी मेडिकल कालेजों, विश्वविद्यालयों/अल्पसंख्यक विश्वविद्यालयों में पी0जी0 पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु यू0पी0 आयुष पी0जी0 काउन्सिलिंग आनलाइन कराने हेतु नीति निर्धारण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–3229/शिक्षा–2483/22, दिनांक 16.12.2022 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग, आयुष मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रदत्त निर्देश विषयक पत्रांक–BUSS/Admission counsel(UG) 2021–22 दिनॉक–14.10.2022 के क्रम में संबंधित शैक्षणिक सत्र के अन्तर्गत प्रदेश के मान्यता प्राप्त राजकीय आयुष (आयुर्वेदिक, यूनानी एवं होम्योपैथी) मेडिकल कालेजों एवं निजी क्षेत्र के आयुर्वेदिक/यूनानी/होम्योपैथी मेडिकल कालेजों, निजी क्षेत्र के विश्वविद्यालयों/अल्पसंख्यक संस्थानो में आल इण्डिया आयुष पोस्ट ग्रेजुएट इन्ट्रेन्स टेस्ट (ए0आई0ए0पी0जी0ई0टी0) की मेरिट सूची को अंगीकृत करते हुए आयुष पी0जी0 पाठ्यक्रमों में आनलाइन स्टेट काउंसिलिंग के माध्यम से प्रवेश लिये जाने का निर्णय लिया गया है।

तत्क्रम में निदेशक, आयुर्वेद सेवायें/निदेशक, आयुर्वेद (पाठ्यक्रम एवं मूल्यांकन)/निदेशक, यूनानी सेवायें एवं निदेशक, होम्योपैथी द्वारा समेकित रूप से उपलब्ध कराये गये उपर्युक्त प्रस्ताव के अनुसार ए0आई0ए0पी0जी0ई0टी0 की मेरिट के आधार पर स्टेट मेरिट एंव वरीयता विकल्प क्रम में प्रदेश के राजकीय आयुष (आयुर्वेदिक, यूनानी एवं होम्योपैथी) मेडिकल कालेजों एवं निजी क्षेत्र के आयुर्वेदिक/ यूनानी/होम्योपैथी मेडिकल कालेजों, निजी क्षेत्र के विश्वविद्यालयों/अल्पसंख्यक संस्थानो के पी0जी0 पाठ्यक्रमों (एम0डी0/एम0एस0) में प्रवेश हेतु आनलाईन काउन्सिलिंग कराया जाना उपयुक्त होगा। भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग/होम्योपैथी राष्ट्रीय आयोग, आयुष मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रदत्त दिशा निर्देशों के क्रम में प्रदेश की 85 प्रतिशत राजकीय आयुष महाविद्यालयों तथा निजी क्षेत्र के आयुष कालेजों/निजी क्षेत्र के विश्वविद्यालयों/अल्पसंख्यक संस्थानों की समस्त सीटों पर प्रवेश हेतु आनलाइन काउन्सिलिंग प्रक्रिया के संबंध में यह नीति प्रभावी होगी, का उल्लेख प्रस्ताव में किया गया है।

निदेशक के प्रस्ताव में यह भी स्पष्ट किया गया है कि प्रदेश के राजकीय एवं निजी क्षेत्र के आयुर्वेदिक/यूनानी/होम्योपैथी मेडिकल कालेजों में परास्नातक (एम0डी0/एम0एस0) के विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु काउंसिलिंग का प्रस्ताव चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–4, उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या–612/71–4099/1229/2019 दिनांक 23.09.2022 तथा भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग, आयुष मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या–बी0यू0एस0एस0/एडमिशन काउंसिल (यू0जी0) 2021–22, दिनांक 14.10.2022 के आधार पर तैयार किया गया है, किन्तु जहां पर भारत सरकार एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश के उक्त वर्णित शासनादेशों में भिन्नता है, वहां पर भारत सरकार के शासनादेश के निर्देशों को स्वीकार करते हुये नीति निर्धारित किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2– अतः निदेशक, आयुर्वेद सेवायें के पत्र संख्या–3229/शिक्षा–2483/22, दिनांक 16.12.2022 द्वारा उपलबध कराये गये प्रस्ताव पर सम्यक् विचारोपरान्त प्रदेश के राजकीय एवं निजी क्षेत्र के आयुर्वेदिक, यूनानी एवं होम्योपैथी मेडिकल कालेजों में परास्नातक (एम0डी0/एम0एस0) के विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु ए0आई0ए0पी0जी0ई0टी0 की मेरिट को अंगीकार करते हुये आनलाइन यू0पी0 आयुष पी0जी0 काउन्सिलिंग कराने हेतु निम्नवत् नीति निर्धारण की स्वीकृति श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करती हैं :–

1. तकनीकी संस्था का नामांकन एवं कार्य –

1. ए0आई0ए0पी0जी0ई0टी0 के माध्यम से अर्ह घोषित अभ्यर्थियों के आनलाईन पंजीकरण, डाटा कैप्चर, फोटो अपलोड, शुल्क भुगतान एवं छात्रों की स्टेट मेरिट सूची तैयार कर काउंसिलिंग की प्रक्रिया आदि हेतु National Informatics Center (N.I.C.) को निदेशक, आयुर्वेद, उ0प्र0 के अनुरोध पर शासन के पत्र संख्या–4279/96–आयुष–1–2022–कम्प्यूटर नं0–1673132, दिनांक 02.12.2022 द्वारा तकनीकी संस्था नामित किया गया है। तकनीकी संस्था आगामी 06 माह तक काउंसिलिंग एवं उससे सम्बन्धित कार्य सम्पादित करने में सहयोग करेगी।
2. तकनीकी संस्था एन0आई0सी0 एवं आयुष विभाग के अधिकारियों के साथ दिनांक–12.12.2022 को सम्पन्न बैठक में दिये गये सुझावों के क्रम में निम्नलिखित व्यवस्था सुनिश्चित की जाये –
   i. उक्त काउंसिलिंग हेतु एन0टी0ए0 से ए0आई0ए0पी0जी0ई0टी0 परीक्षा का परिणाम सील बंद प्राप्त कर एन0आई0सी0 को उपलब्ध कराया जाय।
   ii. तकनीकी संस्था उक्त काउंसिलिंग हेतु वेबसाइट, रजिस्ट्रेशन फार्म तथा अभ्यर्थी के विकल्पों की वरीयता के आधार पर सीट आवंटन आदि हेतु यथावश्यक साफ्टवेयर तैयार किया जायेगा।
   iii. वेबसाइट डोमेन पंजीकरण यू0पी0 स्टेट डाटा सेन्टर के माध्यम से कराया जायेगा।
   iv. वेबसाइट होस्ट करने के लिए सर्वर स्टोरेज आदि प्राप्त करने हेतु यू0पी0 स्टेट डाटा सेंटर से समन्वय किया जाय।
   v. काउंसिलिंग शुल्क एवं धरोहर राशि आदि प्राप्त करने के लिए बैंक के साथ समन्वय एवं इन्टिग्रेशन किया जाय।
   vi. काउंसिलिंग प्रक्रिया में अभ्यर्थियों को आवश्यक संदेश भेजने के लिए ई0मेल, फोन द्वारा एस0एम0एस0 भेजने की व्यवस्था की जाय।
   vii. तकनीकी सहयोग हेतु एन0आई0सी0 के माध्यम से नेशनल इन्फार्मेटिक्स सेन्टर सर्विसेज इनकारपोरेट्स (N.I.C.S.I.) से तीन तकनीकी सहायकों की सेवायें ली जा सकेंगी। इस हेतु यू0जी0 में नियुक्त तीन तकनीकी सहायक ही पी0जी0 काउंसिलिंग का भी कार्य करेंगे।
   viii. ऑनलाइन फार्म एवं काउंसिलिंग के साफ्टवेयर का भारत सरकार द्वारा नामित किसी संस्था से थर्ड पार्टी सिक्योरिटी आडिट तथा सिक्योर्ड साकेट लेयर (S.S.L.) प्राप्त किया जाय।

2. काउसिलिंग हेतु विवरण पुस्तिका (ब्रोशर) तैयार किया जाना–

प्रदेश के अनुमति प्राप्त राजकीय आयुर्वेदिक, यूनानी एवं होम्योपैथी मेडिकल कालेजों/संस्थाओं एवं निजी क्षेत्र के आयुर्वेद, यूनानी एवं होम्योपैथी मेडिकल कालेजों, निजी क्षेत्र के विश्वविद्यालयों तथा अल्पसंख्यक संस्थानों में एम0डी0/एम0एस0 पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु आनलाइन पंजीकरण, स्टेट मेरिट सूची इत्यादि तैयार करने तथा काउंसिलिंग की प्रक्रिया संपादित करने हेतु विवरण पुस्तिका (ब्रोशर) तैयार किये जाने की कार्यवाही की जानी है। काउंसिलिंग बोर्ड के अध्यक्ष, निदेशक आयुर्वेद, निदेशक यूनानी एवं निदेशक होम्योपैथ द्वारा समेकित रूप से विवरण पुस्तिका (ब्रोशर) तैयार किया जाना अपेक्षित है। ब्रोशर तैयार करते समय भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग/राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग, आयुष मंत्रालय, भारत सरकार तथा उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेशों में निहित दिशा–निर्देशों का अनुपालन किया जायेगा।

3. अर्हताएं (**Eligibility**)––

1- मात्र ऐसे अभ्यर्थी ही काउन्सिलिंग हेतु अर्ह माने जायेगें, जो प्रवेश के संबंधित वर्ष की ए0आई0ए0पी0जी0ई0टी0 (AIAPGET) द्वारा अर्ह घोषित हुए हों, अर्थात ए0आई0ए0पी0जी0ई0टी0 की प्रवेश परीक्षा में न्यूनतम निम्नलिखित परसेंटाइल अंक प्राप्त किये हो।

(1)–अनारक्षित/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग– न्यूनतम 50 परसेंटाइल
(2)– अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग– न्यूनतम 40 परसेंटाइल
(3)–दिव्यांग श्रेणी के अनारक्षित अभ्यर्थी– न्यूनतम 45 परसेंटाइल
(4)–आरक्षित श्रेणी के दिव्यांग अभ्यर्थी– न्यूनतम 40 परसेंटाइल अंक प्राप्त किये हों।
(5)–यदि उपरोक्त अर्हता में भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग/होम्योपैथी राष्ट्रीय आयोग, आयुष मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा कोई परिवर्तन किया जाता है, तो वह मान्य होगा।

2- अभ्यर्थी द्वारा निर्धारित आनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से वेबसाइट पर निर्धारित शुल्क जमा करते हु पंजीकरण कराया गया हो।

3- अभ्यर्थी की अनिवार्य इंटर्नशिप आयुष मंत्रालय भारत सरकार द्वारा निर्धारित तिथि तक पूर्ण होनी चाहिए।

4- प्रदेश के राजकीय आयुष महाविद्यालयों की कुल स्वीकृत सीटों में 85 प्रतिशत सीटें राज्य कोटे के लि आरक्षित होंगी जिनको राज्य काउन्सिलिंग के माध्यम से भरा जायेगा। शेष 15 प्रतिशत सीटें केन्द्रीय को के लिये आरक्षित होंगी जिन्हें आयुष एडमिशन सेंट्रल काउंसिलिंग कमेटी (AACCC), आयुष मंत्रालय भारत सरकार द्वारा काउन्सिलिंग के माध्यम से भरा जायेगा। केन्द्रीय कोटे की सीट रिक्त रह जाने क दशा में आयुष मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराये गये दिशानिर्देशों का पालन करते हुये रिक्त सीटों हेतु प्रवेश की प्रक्रिया राज्य काउन्सिलिंग के माध्यम से कराई जायेगी।

5- **स्टेट कोटे की सीटों पर प्रवेश हेतु वही अभ्यर्थी अर्ह होगे जो उत्तर प्रदेश राज्य के मूल निवासी हों ए चिकित्सा अभ्यास हेतु उत्तर प्रदेश राज्य के संबंधित बोर्ड में पंजीकृत हों। इस निमित्त–**

(1) जिन अभ्यर्थियो ने हाईस्कूल अथवा समकक्ष, इंटरमीडिएट अथवा समकक्ष परीक्षा एवं वांछित विधा क स्नातक उपाधि उत्तर प्रदेश की सीमान्तर्गत विधि द्वारा स्थापित एवं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मान्यत प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थानों (काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी/अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अलीगढ़ को छोड़कर) से उत्तीर्ण की हो, उन्हें निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य नहीं होगा।

(2) जिन अभ्यर्थियों ने हाईस्कूल अथवा समकक्ष, इंटरमीडिएट अथवा समकक्ष परीक्षा एवं वांछित विधा क स्नातक उपाधि में से कोई भी परीक्षा उत्तर प्रदेश के बाहर अथवा बी0एच0यू0/ए0एम0यू0 से उत्तीर्ण क है, उन्हें सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत डोमसाइल/निवास प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(3) अभ्यर्थी को उत्तर प्रदेश के सम्बन्धित चिकित्सा बोर्ड में पंजीकृत होना अनिवार्य है।

निजी क्षेत्र के आयुष मेडिकल कालेजों में उ0प्र0 राज्य के निवासियों के साथ ही अन्य राज्यों के निवासियों को भी सीट आवंटन हेतु अर्ह माना जायेगा तथा किसी भी प्रकार का आरक्षण देय नहीं होगा। अभ्यर्थियों को प्रवेश के उपरान्त उ0प्र0 के सम्बन्धित चिकित्सा बोर्ड में पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा।

4. अनर्हताएं (Non Eligibility)–

1- ऐसे अभ्यर्थी, जो वर्तमान मे स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में अध्ययनरत हों अथवा अनुत्तीर्ण हों, वे राजकीय आयुष (आयुर्वेदिक, यूनानी एवं होम्योपैथी) मेडिकल कालेजों एवं निजी क्षेत्र के आयुर्वेदिक/यूनानी/होम्योपैथी मेडिकल कालेजों, निजी क्षेत्र के विश्वविद्यालयों/अल्पसंख्यक संस्थानो में आयुष पी0जी0 पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु अर्ह नहीं होंगे।

2- ऐसे अभ्यर्थी जिनकी अनिवार्य इन्टर्नशिप आयुष मंत्रालय भारत सरकार द्वारा निर्धारित तिथि तक पूर्ण न हुई हो।

3- राजकीय क्षेत्र के आयुष कालेजों हेतु अभ्यर्थी जो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी नहीं हैं तथा उत्तर प्रदेश के संबंधित चिकित्सा बोर्ड में पंजीकृत नहीं हैं।

4- ऐसे अभ्यर्थी जो आयुष एडमिशन सेंट्रल काउंसिलिंग कमेटी (AACCC) द्वारा प्रथम, द्वितीय, मापअप एवं स्ट्रे वैकेन्सी चक्र की काउंसिलिंग के उपरान्त निर्गत अनर्ह सूची में सम्मिलित होंगे, वह अभ्यर्थी काउन्सिलिंग हेतु पात्र नही होंगे।

5. अभिलेखों का सत्यापन–

(क) यू0पी0 आयुष पी0जी0 काउंसिलिंग में प्रतिभाग करने वाले अभ्यर्थियों के शैक्षणिक अभिलेखों का सत्यापन सम्बन्धित वेबसाइट के माध्यम से आनलाइन एवं आफलाइन दोनों प्रकार से कराया जायेगा। अभ्यर्थियों द्वारा निम्नलिखित अभिलेख अपलोड किये जायेगें :–

1- हाई स्कूल अथवा समकक्ष, इण्टरमीडिएट अथवा समकक्ष तथा वांछित विधा की उपाधि का प्रमाण पत्र।

2- निवास प्रमाण–पत्र।

3- इर्न्टनशिप आयुष मंत्रालय भारत सरकार द्वारा निर्धारित तिथि तक पूर्ण होने का प्रमाणपत्र।

4- आरक्षण से संबंधित प्रमाण–पत्र।

5- उ0प्र0 के संबंधित चिकित्सा पद्धति बोर्ड में पंजीकरण प्रमाण–पत्र।

6- ए0आई0ए0पी0जी0ई0टी0 स्कोर कार्ड।

(ख) अभिलेखों का भौतिक सत्यापन–

अर्हता से संबंधित अभिलेखों के भौतिक सत्यापन की कार्यवाही **काउन्सिलिंग केन्द्र–राजकीय आयुर्वेदिक कालेज एवं चिकित्सालय, तुलसीदास मार्ग, लखनऊ** एवं आवंटित आयुष महाविद्यालय में प्रवेश के समय करायी जायेगी। जिसके लिये अभ्यर्थियों को निम्नलिखित अभिलेख, मूलरुप में एवं स्वप्रमाणित एक–एक छायाप्रति सहित निर्धारित समय, तिथि एवं स्थान पर स्वयं उपस्थित होना होगा :–

1–ए0आई0ए0पी0जी0ई0टी0 का स्कोर कार्ड।

2–ए0आई0ए0पी0जी0ई0टी0 का प्रवेश पत्र।

3–आनलाइन पंजीकरण का प्रिंट आउट।

4–हाई स्कूल अथवा समकक्ष एवं इंटरमीडियट अथवा समकक्ष परीक्षाओं के प्रमाणपत्र एवं अंकतालिका।

5–वांछित विधा की स्नातक उपाधि/प्रमाण पत्र एवं समस्त अंक तालिकायें।

6–इंटर्नशिप आयुष मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्धारित तिथि तक पूर्ण हाने का प्रमाण पत्र।

7–एक फोटोग्राफ, जो उसी निगेटिव से बना हों जो ए0आई0ए0पी0जी0ई0टी0 हेतु आनलाइन आवेदन के समय अपलोड किया गया है।

8–निर्धारित प्रारुप पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत आरक्षित श्रेणी का प्रमाणपत्र। **भारत सरकार के सेवायोजन हेतु निर्गत प्रमाण पत्र मान्य नही होंगे।** अन्य पिछडा वर्ग का प्रमाण पत्र संबंधित सत्र के 01 अप्रैल अथवा उसके बाद का निर्गत हो।

9–दिव्यांगजन उपश्रेणी का प्रमाण पत्र जो कि आयुष एडमिशन सेंट्रल काउंसिलिंग कमेटी (AACCC) हेतु भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग/होम्योपैथी राष्ट्रीय आयोग, आयुष मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्धारित केन्द्रों द्वारा निर्धारित प्रारुप पर संबंधित सत्र के लिए निर्गत हो।

10–उत्तर प्रदेश में निवास करने का निवास प्रमाण पत्र।

11–आधार कार्ड।

नोट–1. दिव्यांगता प्रमाण पत्र में किसी विवाद/अस्पष्टता की स्थिति में महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा विवाद/अस्पष्टता के समाधान हेतु विशेष चिकित्सा बोर्ड गठित करने हेतु अनुरोध किया जायेगा।

2. मूल अभिलेख न होने अथवा अभिलेख गलत पाये जाने की स्थिति में आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी। यदि अभ्यर्थी किसी दूसरी संस्था में प्रवेशित है और उसके मूल अभिलेख उस संस्था में जमा हैं, अभ्यर्थी उस संस्था की अनापत्ति तथा मूल अभिलेखों के जमा होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा। परन्तु आवंटित संस्था में प्रवेश के समय अभ्यर्थी को मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

प्रमाण पत्रों के सत्यापन का स्थान–राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय एंव चिकित्सालय, तुलसीदास मार्ग, लखनऊ है।

6. पंजीकरण शुल्क–

यू0पी0 आयुष पी0जी0 काउंसिलिंग में प्रतिभाग करने वाले अभ्यर्थियों को अधिकृत वेबसाइट पर ऑनलाइन पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। सभी चक्रों (प्रथम, द्वितीय, मॉप–अप तथा स्ट्रे वैकेन्सी चक्र/चक्रों) की काउन्सिलिंग हेतु आनलाइन पंजीकरण के रूप में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए शुल्क रू0 1,500 (एक हजार पांच सौ) मात्र तथा शेष अन्य अभ्यर्थियों के लिए रू0 2,000 (रूपये दो हजार) मात्र प्रति छात्र आनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से जमा कराया जायेगा। अभ्यर्थी को सभी चक्रों की काउंसिलिंग के लिए मात्र एक बार ही पंजीकरण शुल्क जमा करना होगा। पंजीकरण शुल्क किसी भी दशा में वापस नहीं (Non refundable) किया जायेगा।

अभ्यर्थी जिस चक्र की काउन्सिलिंग में प्रतिभाग करना चाहता है, उस चक्र की काउन्सिलिंग हेतु उसे वरीयता विकल्प भरना अनिवार्य होगा। किन्तु ऐसे अभ्यर्थी जो पूर्व के चक्रों की काउन्सिलिंग में पंजीकृत नहीं हैं उन्हें अग्रिम चक्र की काउन्सिलिंग में प्रतिभाग करने के लिए निर्धारित पंजीकरण शुल्क जमा करते हुए पंजीकरण कराना होगा।

7. धरोहर धनराशि–

पंजीकरण कराते समय अभ्यर्थी को आनॅलाइन माध्यम से धरोहर धनराशि भी जमा करना आनिवार्य होगा। यदि अभ्यर्थी को कोई सीट आवंटित नहीं होती है और वह अग्रिम चक्र में पुनः प्रतिभाग करना चाहता है अथवा

प्रथम चक्र में प्रवेश के उपरान्त द्वितीय चक्र में पुनरावंटन कराना चाहता है तो उसे पुनः धरोहर धनराशि जम करने की आवश्यकता नहीं होगी।

धरोहर धनराशि की व्यवस्था निम्नवत् की जानी है–

राजकीय आयुर्वेदिक/यूनानी/होम्योपैथी मेडिकल कालेजों में सीट आवंटन प्राप्त अभ्यर्थियों को सिक्योरिट मनी के रूप में रू0 20,000/– (रूपये बीस हजार मात्र) तथा निजी क्षेत्र के आयुर्वेदिक/यूनानी/होम्योपैथ मेडिकल कालेजों हेतु यह धनराशि रू0 50,000/– (रूपये पचास हजार मात्र) ऑनलाइन जमा करना अनिवा होगा। यदि अभ्यर्थी राजकीय एवं निजी क्षेत्र, दोनो प्रकार के आयुष महाविद्यालय हेतु काउन्सिलिंग में प्रतिभा करना चाहता है तो उसे कुल रू0 50,000.00 (रूपये पचास हजार) जमा करना होगा।

अभ्यर्थी को धरोहर धनराशि वापसी हेतु बैंक का विवरण (बैंक का नाम एवं शाखा, खातेदार का नाम, खात संख्या तथा आई0एफ0एस0सी0 कोड) धरोहर धनराशि जमा करते समय उपलब्ध कराना होगा।

निम्नलिखित स्थितियों में अभ्यर्थी की धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी–

(1)–प्रथम अथवा द्वितीय अथवा मॉप–अप अथवा स्ट्रे वैकेन्सी चक्र/चक्रों में आवंटन प्राप्त अभ्यर्थी यदि प्रवेश नह लेता है। किन्तु यदि आयुष एडमिशन सेंट्रल काउंसिलिंग कमेटी (AACCC) से अभ्यर्थी को सीट आवंटित होती है तो उसे शिक्षण शुल्क (प्रवेश शुल्क रूपया एक हजार छोड़कर) तथा धरोहर धनराशि वापस कर दी जायेगी।

(2)–प्रथम अथवा द्वितीय चक्र की काउंसिलिंग से आवंटित एवं प्रवेशित अभ्यर्थी यदि प्रथम अथवा द्वितीय चक्र के काउन्सिलिंग में अपग्रेडेशन के उपरान्त कालेज अथवा विषय में प्रवेश नहीं लेते हैं। (प्रथम अथवा द्वितीय काउन्सिलिंग में दिये गये वरीयता विकल्प के आधार पर यदि किसी अभ्यर्थी की सीट अपग्रेड होती है तो उसको पूर्व आवंटित सीट रिक्त होकर किसी अन्य अभ्यर्थी को आवंटित कर दी जायेगी तथा उस अभ्यर्थी को अपग्रेडेड सीट पर प्रवेश लेना होगा एवं पूर्व में आवंटित सीट पर अभ्यर्थी का कोई दावा नहीं होगा।)

8. त्यागपत्र दिये जाने के संबंध में–

1. प्रथम एवं द्वितीय चक्र से आवंटित अभ्यर्थी प्रवेश के उपरान्त द्वितीय अथवा मॉप–अप चक्र के काउन्सिलिंग हेतु च्वाइस फिलिंग के 48 घंटे पूर्व (उदाहरण स्वरूप यदि च्वाइस फिलिंग दिनांक 24.12 2022 को प्रातः 10:00 बजे से प्रारम्भ होनी है तो अभ्यर्थी को दिनांक 22.12.2022 को प्रातः 09:59 बज तक) अपनी सीट से त्यागपत्र देता है तो उसका शिक्षण शुल्क (प्रवेश शुल्क रु0 एक हजार छोड़कर वापस कर दिया जायेगा।
2. अभ्यर्थियों को सीट का आवंटन (Allotment/ Allocation) प्रवेश नहीं है। आवंटन के पश्चात् अभ्यर्थी के सबंधित कालेज पर उपस्थित होकर प्रवेश प्रक्रिया सम्पन्न कराने के पश्चात् ही प्रवेश मान्य होगा तत्पश्चात् ही प्रवेशित अभ्यर्थी प्रवेशित सीट से त्यागपत्र दे सकेगा।

9. काउन्सिलिंग हेतु समय सारिणी–

प्रथम, द्वितीय, मॉप–अप एवं स्ट्रे वैकेन्सी चक्र/चक्रों की काउन्सिलिंग की समय सारिणी काउन्सिलिंग बोर्ड द्वारा निर्धारित कर काउन्सिलिंग की अधिकृत वेबसाइट एवं विभाग की वेबसाईट पर प्रदर्शित की जायेगी प्रत्येक चक्र की काउन्सिलिंग से पूर्व काउन्सिलिंग की विज्ञप्ति 02 हिन्दी एवं 01 अंग्रेजी के बहुप्रसारित राष्ट्रीय समाचार पत्रों के माध्यम से जारी की जायेगी।

10. काउंसिलिग एवं प्रवेश प्रक्रिया–

अ (1)– विभिन्न चक्रों की काउन्सिलिंग से पूर्व काउन्सिलिंग बोर्ड द्वारा समस्त आयुष कालेजों से भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग/होम्योपैथिक राष्ट्रीय आयोग, आयुष मंत्रालय भारत सरकार से संबंधित सत्र की मान्यता हेतु अद्यतन निर्गत प्रवेश की अनुमति पत्र प्राप्त किया जायेगा। तत्पश्चात उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेशों के अनुरूप आरक्षण प्रदान करते हुये सीट मैट्रिक्स तैयार की जायेगी। काउन्सिलिंग के मध्य मे यदि किसी संस्था को सम्बन्धित आयोग से प्रवेश हेतु अनुमति प्राप्त होती है अथवा सीटों में वृद्धि होती है, तो तत्समय प्राप्त सीटों को नियमानुसार सीट मैट्रिक्स में सम्मिलित किया जायेगा। सीट मैट्रिक्स तीनो विधाओं के निदेशकगण तथा काउंसिलिंग बोर्ड के सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित की जायेगी।

(2)–काउंसिलिंग प्रक्रिया प्रथम, द्वितीय तथा मॉपअप चक्र के द्वारा सम्पन्न की जायेगी। उक्त के पश्चात् यदि कोई सीट रिक्त रहती है अथवा भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग/राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग, आयुष मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रवेश की अन्तिम तिथि में संशोधन किया जाता है तो आवश्यकतानुसार अतिरिक्त स्ट्रे वैकेन्सी चक्र/चक्रों से सीट का आवंटन किया जायेगा।

(3)–प्रथम एवं द्वितीय चक्र की काउन्सिलिंग से आवंटन एवं प्रवेश के पश्चात रिक्त सीटों पर उसी चक्र की काउन्सिलिंग की स्टेट मेरिट के आधार पर अभ्यर्थी द्वारा उपलब्ध कराये गये वरीयता विकल्पों के आधार पर उसकी सीट को आटो–अपग्रेड किया जायेगा।

(4)–मॉपअप चक्र की आवंटन प्रक्रिया के समय यदि आरक्षित श्रेणी/उपश्रेणी की सीटे रिक्त रहती हैं, तो उन्हें नियमानुसार सम्बन्धित श्रेणी में आमेलित/परिवर्तित करते हुए मापअप चक्र की आवंटन प्रक्रिया सम्पन्न की जायेगी।

(5)–आयुष एडमिशन सेंट्रल काउंसिलिंग कमेटी (AACCC) द्वारा प्रथम, द्वितीय, मॉप–अप/स्ट्रे वैकेन्सी चक्र के पश्चात घोषित अनर्ह अभ्यर्थी काउन्सिलिंग की प्रक्रिया में भाग लेने हेतु पात्र नहीं होंगे।

ब–मॉपअप/स्ट्रे वैकेन्सी चक्र–

(1)– मॉप–अप/स्ट्रे वैकेन्सी चक्र/चक्रों हेतु वही अभ्यर्थी अर्ह होंगे, जिन्हें यू0पी0 आयुष पी0जी0 काउन्सिलिंग की प्रथम एवं द्वितीय काउन्सिलिंग के द्वारा कोई भी सीट आवंटित न हुई हो।

(2)– आवंटन के पश्चात सम्बन्धित कालेज में निर्धारित तिथि तक प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण किया जाना अनिवार्य होगा।

(3)– मॉप–अप/स्ट्रे वैकेन्सी चक्र/चक्रों के समय अभ्यर्थी को शैक्षणिक अर्हता से संबंधित समस्त अभिलेख, जाति प्रमाण पत्र व अन्य आवश्यक प्रपत्र मूलरूप में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, अन्यथा की स्थिति में उनके अभ्यर्थन पर विचार नहीं किया जायेगा।

(4)– मॉप–अप/स्ट्रे वैकेन्सी चक्र/चक्रों में कोई पुनरावंटन (Reshuffle) अनुमन्य नहीं होगा।

स–मॉपअप चक्र हेतु निम्नलिखित अभ्यर्थी अर्ह नहीं होंगे :–

(1)–यू0पी0 आयुष पी0जी0 काउन्सिलिंग की प्रथम या द्वितीय काउन्सिलिंग से आवंटन प्राप्त प्रवेशित/अप्रेविशत/त्याग पत्र देने वाले अभ्यर्थी मॉप–अप चक्र हेतु अर्ह नहीं होंगे।

(2)–15 प्रतिशत आल इंडिया कोटा के माध्यम से प्रवेशित अभ्यर्थी।

(3)–आयुष एडमिशन सेंट्रल काउंसिलिंग कमेटी (AACCC) द्वारा घोषित अनर्ह अभ्यर्थी।

11. बाण्ड व्यवस्था लागू किये जाने के संबंध में–

स्टेट कोटा/आल इण्डिया कांउसिलिंग के माध्यम से राजकीय आयुष मेडिकल कालेजों में प्रवेशित अभ्यर्थी पाठ्यक्रम पूरा करने से पहले बीच में छोड़ने पर प्राप्त समस्त वेतन/स्टाइपेण्ड वापस करना होगा।

12. प्रदेश के राजकीय आयुष कालेजों में आरक्षण व्यवस्था–

(1)– प्रदेश में स्थापित समस्त राजकीय क्षेत्र के आयुष मेडिकल कालेजों/विश्वविद्यालयों/स्वायत्तशासी संस्थानों में आरक्षण की व्यवस्था नियमानुसार लागू की जायेगी।

उर्द्धवाधर (Vertical) आरक्षण

अनुसूचित जाति श्रेणी के अभ्यर्थी – 21 प्रतिशत
अनुसूचित जनजाति श्रेणी के अभ्यर्थी– 02 प्रतिशत
अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के अभ्यर्थी – 27 प्रतिशत
ई0डब्लू0एस0 श्रेणी के अभ्यर्थी – 10 प्रतिशत'

क्षैतिज (Horizontal) आरक्षण

दिव्यांग श्रेणी के अभ्यर्थी – 05 प्रतिशत

(2)– समाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा निर्गत अधिसूचना दिनांक–12 जनवरी 2019 एवं उत्तर प्रदेश शासन, कार्मिक अनुभाग–2 द्वारा जारी कार्यालय ज्ञाप संख्या–1/2019/4/1/2002/का–2/19 टी0सी0–II दिनांक–18 फरवरी 2019 के अनुसार दिव्यांग श्रेणी के अभ्यर्थी को आरक्षण दिया जायेगा।

(3)– स्पेशल अपील संख्या–689/2015 सुरेन्द्र कुमार कावंत बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.10.2015 के परिपेक्ष्य में अन्य राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश में विस्थापित होकर आये अभ्यर्थियों को यू0पी0 आयुष पी0जी0 के अन्तर्गत किसी भी प्रकार के आरक्षण का लाभ देय नही होगा।

(4)– रिट याचिका संख्या–1968 आफ 2017 ज्योति शुक्ला बनाम उ0प्र0 राज्य व बन्य में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा हॉरिजण्टल आरक्षण के संबंध में दिनांक–24.03.2017 को पारित आदेश द्वारा क्षैतिज (Horizontal) आरक्षण का लाभ अभ्यर्थी की अपनी श्रेणी में उपलब्ध सीटों पर ही अनुमन्य होगा।

(5)– शासनादेश संख्या–22 सी0एम0(1)/26–03–2013 दिनॉक 10.06.2013 द्वारा विमुक्त जाति के आरक्षण
संबंध में शासनादेश के बिन्दु संख्या–03 एवं 04 में निम्न व्यवस्था की गयी है :–
बिन्दु संख्या–3 जहॉ तक विमुक्त जातियों को आरक्षण की सुविधा की अनुमन्यता का प्रश्न है कि विमुक्
जाति के अन्तर्गत आने वाली जो जातियॉ अनुसूचित जाति अथवा पिछड़ा वर्ग के अन्तर्गत वर्गीकृत
उन्हें तद्नुरूप उक्त वर्गों हेतु अनुमन्य आरक्षण की सुविधा प्रदत्त होगी।
बिन्दु संख्या–4 यह स्पष्ट किया जाता है कि विमुक्त जातियों को विमुक्त जाति के नाम से आरक्षण व
सुविधा अनुमन्य नहीं है, अपितु जैसा कि ऊपर स्पष्ट किया गया है कि विमुक्त जातियों की सूची में अंकि
वह जातियॉ जो अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति अथवा अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में सम्मिलि
हैं, उन्हें उक्त जाति को अनुमन्य आरक्षण का लाभ अनुमन्य होगा।

(6)– उत्तर प्रदेश राज्य में अन्य पिछड़ा वर्ग के अन्तर्गत आने वाली कतिपय जातियॉ भारत सरकार में अनारक्षि
श्रेणी में सम्मिलित है। यह सम्भावना है कि ए0आई0ए0पी0ई0टी0 के आवेदन के समय उ0प्र0 राज्य के कु
अभ्यर्थियों द्वारा अपनी जाति अनारक्षित श्रेणी में दर्शा दी गयी हो। अतः उत्तर प्रदेश राज्य व
यू0पी0पी0जी0 आयुष काउन्सिलिंग हेतु जारी किए जाने वाले ब्रोशर में उल्लिखित जातियों के अनुसार
उत्तर प्रदेश राज्य की अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी एवं अन्य श्रेणी के अन्तर्गत आने वाले अभ्यर्थियों को उव
श्रेणी का लाभ अनुमन्य किया जायेगा।

(7)– प्रदेश के राजकीय आयुष मेडिकल कालेजों/निजी क्षेत्र के विश्वविद्यालयों/निजी क्षेत्र के अल्पसंख्य
संस्थानों में बी0ए0एम0एस0/बी0यू0एम0एस0/बी0एच0एम0एस0 पाठ्यक्रम में आल इण्डिया कोटा की 1
प्रतिशत सीटों पर अन्य प्रदेश के प्रवेशित आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को प्रदेश कोटा की पी0जी0 सी
पर आरक्षण संबंधी लाभ देय नही होगा तथा, वह अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी ही माने जायेंगे।

(8)– आरक्षण से सम्बन्धित सभी प्रपत्र उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप पर ही मान्य होगें।

(9)– दिव्यांगता प्रमाण पत्र भारत सरकार द्वारा निर्धारित केन्द्रों व जारी प्रारूप पर ही मान्य होंगे तथा वर्तमा
सत्र के लिए निर्गत किये गये हों।

(10)– निजी क्षेत्र के आयुष मेडिकल कालेजों की सीटों पर कोई आरक्षण देय नहीं हैं।

(11)– आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तथा अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी हेतु संबंधित वर्ष के 01 अप्रैल अथवा उसके बा
का निर्गत प्रमाण पत्र ही मान्य होगा।

13. शिक्षण शुल्क–

(1)– सरकारी क्षेत्र के आयुष कालेजों में प्रवेशित छात्र–छात्राओं द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्धारित शिक्ष
शुल्क देय होंगे।

(2)– निजी क्षेत्र के आयुष कालेजों के लिए उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्धारित शुल्क देय होगा।

(3)– अल्पसंख्यक संस्थानों का शुल्क संस्था द्वारा स्वयं निर्धारित किया जाता है।

**निजी क्षेत्र/अल्संख्यक संस्थानों के आयुष मेडिकल कालेजों को अपनी वेबसाइट पर शुल्क प्रदर्शित कर
अनिवार्य होगा।**

14. काउन्सिलिंग बोर्ड हेतु नामित अधिकारियों का विवरण एवं प्रास्थिति–

क्रम सं0	काउन्सिलिंग बोर्ड हेतु नामित अधिकारियों का विवरण	काउन्सिलिंग बोर्ड में प्रास्थिति	प्रस्तावित नाम
1	शासन द्वारा नामित अधिकारी	अध्यक्ष	श्री सुखलाल भारती, विशेष सचिव, आयुष विभाग उ0प्र0 शासन।
2	शासन द्वारा नामित निदेशक	सदस्य सचिव	डा0 प्रकाश चन्द्र सक्सेना, कार्यवाहक निदेशक, आयुर्वे सेवायें।
3	शासन द्वारा नामित प्रतिनिधि	सदस्य	श्री शैलेन्द्र कुमार, अनु सचिव, आयुष विभाग, उ0प्र शासन।
4	शासन द्वारा नामित किसी राजकीय आयुर्वेदिक/यूनानी /होम्योपैथी मेडिकल कालेज के	सदस्य	**अनारक्षित–** प्रो0 सुबोध त्रिपाठी, प्रोफेसर, रा0हो0का0 प्रयागराज। **अन्य पिछड़ा वर्ग–** प्रो0 दिनेश कुमार मौर्या, प्रधानाचार्य, रा0आ0का0, बरेली।

	प्रधानाचार्य/प्रोफेसर (अनारक्षित, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वर्ग से एक–एक प्रतिनिधि)		**अनुसूचित जाति–** प्रो0 माखन लाल, प्रोफेसर, रा0आ0का0, लखनऊ। **अल्पसंख्यक–** प्रो0 अब्दुल कवी, प्रोफेसर, स्टेट तकमील उत्तिब कालेज, लखनऊ।
5	निदेशक आयुर्वेद/निदेशक यूनानी/निदेशक होम्योपैथ द्वारा नामित एक–एक अधिकारी	सदस्य	
6	निजी क्षेत्र के आयुर्वेदिक/यूनानी/होम्योपैथी अल्पसंख्यक श्रेणी के कालेजों से नामित प्रतिनिधि	सदस्य	नेमीनाथ होम्योपैथ मेडिकल कालेज, आगरा।
7	आनॅलाइन प्रक्रिया के माध्यम से कांउसिलिंग कराये जाने हेतु एन0आई0सी0 से विशेषज्ञ तकनीकी अधिकारी	सह–सदस्य	
8	परामर्शदाता, विधिक ज्ञान रखने वाला अधिकारी (कोई एक)	सह–सदस्य	डा0 हेम चन्द्रा, प्रभारी अधिकारी, होम्योपैथ निदेशालय, लखनऊ।

नोट– उपरोक्तानुसार गठित काउंसिलिंग बोर्ड वर्तमान शैक्षणिक सत्र 2022–23 हेतु ही प्रभावी होगा।

15. अन्य दिशा–निर्देश :–

(1)– यू0पी0 आयुष पी0जी0 की काउन्सिलिंग में कार्यरत समस्त कार्मिकों को मानदेय आदि महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा उ0प्र0 द्वारा देय मानदेय के समान प्रदान किया जायेगा तथा काउन्सिलिंग सम्बन्धी समस्त व्यय काउन्सिलिंग शुल्क आदि से प्राप्त धनराशि से वहन किया जायेगा।

(2) धरोहर धनराशि अभ्यर्थी द्वारा उपलब्ध कराये गये बैंक खाते में वापस कर दी जायेगी।

(3) समय–समय पर मा0 सर्वोच्च न्यायालय/आयुष मंत्रालय, भारत सरकार/उ0प्र0 सरकार से प्राप्त दिशा निर्देशों के अनुरूप काउन्सिलिंग की कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।

(4) काउन्सिलिंग से प्रवेशित सभी अभ्यर्थियों हेतु सम्बन्धित कालेज स्तर पर मेडिकल बोर्ड का गठन कर मेडिकल कराया जाएगा।

(5) अभ्यर्थियों को किसी असुविधा/शिकायत के लिए एक ई–मेल आई0डी0 तथा हेल्पलाइन नम्बर उपलब्ध कराया जायेगा जिस पर अभ्यर्थी अपनी शिकायत या असुविधा का ब्यौरा दर्ज करा सकता है।

(6) काउन्सिलिंग में किसी भी प्रकार का विवाद/कोर्टकेस का न्यायिक क्षेत्राधिकार लखनऊ होगा। (The jurisdiction for court cases/disputes shall be at Lucknow only.)

16. निजी क्षेत्र के आयुष मेडिकल कालेजों से शुल्क लिये जाने के सम्बन्ध में–

यू0पी0 आयुष पी0जी0 की ऑनलाइन काउन्सिलिंग के संचालनार्थ एवं अन्य आवश्यक व्ययों की प्रतिपूर्ति हेतु निजी क्षेत्र के आयुष मेडिकल कालेजों से आवंटन के परिप्रेक्ष्य में काउंसिलिंग में प्रतिभाग किये जाने हेतु प्रति कालेज रु0–1,00,000/– (रु0 एक लाख) जमा कराया जायेगा।

निजी क्षेत्र के आयुष मेडिकल कालेजों/निजी क्षेत्र के विश्वविद्यालयों हेतु यह अनिवार्य होगा कि वह शासन द्वारा निर्धारित शिक्षण शुल्क तथा अन्य शुल्क अपनी वेबसाइट पर प्रदर्शित करेंगें एवं निजी क्षेत्र के अल्प संख्यक संस्थान भी अपने कालेजों हेतु निर्धारित शिक्षण शुल्क तथा अन्य शुल्क अपनी वेबसाइट पर प्रदर्शित करेंगें।

यह दिशा–निर्देश वर्ष 2022–23 एवं आगामी वर्षों की काउन्सिलिंग के लिए भी प्रभावी होंगे।

3– उक्त काउंसिलिंग हेतु मैनपावर तीनों निदेशकगण आपस में समन्वय स्थापित कर उपलब्ध करायेंगे तथा निदेशक, आयुर्वेद सेवायें द्वारा उक्त काउंसिलिंग का समन्वय किया जायेगा एवं निदेशक, यूनानी सेवायें द्वारा उक्त काउंसिलिंग में लगाये जाने वाले विभागीय कार्मिकों का काउंसिलिंग पूर्व प्रशिक्षण कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

कृपया उपरोक्तानुसार यू0पी0 आयुष पी0जी0 काउन्सिलिंग हेतु निर्धारित दिशा–निर्देशों का कड़ाई अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए इस संबंध में आवश्यक अग्रेतर कार्यवाही समयबद्ध रूप से सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीया

(आराधना शुक्ला)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या–4495(1)/96–आयुष–1–2022, तद्दिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– सचिव, भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग (एन0सी0आई0एस0एम0), नई दिल्ली।
2– सचिव, राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग (एन0सी0एच0), नई दिल्ली।
3– निदेशक, आयुर्वेद (पाठ्यक्रम एवं मूल्यांकन), उ0प्र0, लखनऊ।
4– निदेशक, यूनानी सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।
5– निदेशक, होम्योपैथी, उ0प्र0, लखनऊ।
6– समस्त प्रधानाचार्य, राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय एवं चिकित्सालय, उ0प्र0 (द्वारा निदेशक, आयुर्वेद सेवायें)।
7– समस्त प्रधानाचार्य, राजकीय यूनानी महाविद्यालय एवं चिकित्सालय, उ0प्र0 (द्वारा निदेशक, यूनानी सेवायें)।
8– समस्त प्रधानाचार्य, राजकीय होम्योपैथिक महाविद्यालय एवं चिकित्सालय, उ0प्र0 (द्वारा निदेशक, होम्योपैथी)।
9– समस्त प्रबन्धक/प्रधानाचार्य, निजी क्षेत्र के आयुर्वेदिक कालेज/विश्वविद्यालय/अल्पसंख्यक विश्वविद्यालय/अल्पसंख्यक संस्थान, उ0प्र0 (द्वारा निदेशक, आयुर्वेद सेवायें)।
10– समस्त प्रबन्धक/प्रधानाचार्य, निजी क्षेत्र के यूनानी कालेज/विश्वविद्यालय/अल्पसंख्यक विश्वविद्यालय/अल्पसंख्यक संस्थान, उ0प्र0 (द्वारा निदेशक, यूनानी सेवायें)।
11– समस्त प्रबन्धक/प्रधानाचार्य, निजी क्षेत्र के होम्योपैथिक कालेज/विश्वविद्यालय/अल्पसंख्यक विश्वविद्यालय/अल्पसंख्यक संस्थान, उ0प्र0 (द्वारा निदेशक, होम्योपैथी)।
12– निजी सचिव, प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उ0प्र0 शासन।
13– निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, (स्वतंत्र प्रभार), आयुष विभाग, उ0प्र0 शासन।
14– विशेष सचिव, आयुष विभाग, उ0प्र0 शासन।
15– संयुक्त सचिव, आयुष विभाग, उ0प्र0 शासन।
16– अनु सचिव, (श्री शैलेन्द्र कुमार/श्री गंगा चरण), आयुष विभाग, उ0प्र0 शासन।
17– अपर राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी (मुख्यालय), राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, योजना भवन, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि शासन द्वारा एन0आई0सी0 को यू0जी0/पी0जी0 काउंसिलिंग हेतु तकनीकी संस्था नामित किया गया है। अतः काउन्सिलिंग से संबंधित समस्त कार्यवाही सम्पन्न कराने तथा उक्त प्रस्तर–2 के उपप्रस्तर–14 में उल्लिखित काउंसिलिंग बोर्ड की तालिका के क्रमांक–7 में अंकित "आनॅलाइन प्रक्रिया के माध्यम से कांउसिलिंग कराये जाने हेतु कृपया एन0आई0सी0 से विशेषज्ञ तकनीकी अधिकारी" को सह सदस्य के रूप में नामित करने का कष्ट करें।
18– काउन्सिलिंग कमेटी के समस्त नामित सदस्य (द्वारा निदेशक, आयुर्वेद सेवायें)
19– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
19.12.2022
(सुखलाल भारती)
विशेष सचिव।